भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3495
उत्तर देने की तारीख 11.08.2025

कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए आवंटित निधि

3495. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर :
श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री बंटी विवेक साहू :
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे :
श्रीमती भारती पारधी :
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति का ब्यौरा क्या है साथ ही सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत विशेषकर छोटे संगठनों और व्यक्तिगत कलाकारों को कोई सहायता प्रदान की जाती है, यदि हां, तो ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ग) कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किए गए आवंटन की कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है साथ ही विभिन्न राज्यों/राज्यक्षेत्रों और विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को अब तक उक्त आवंटन का कितना भाग वितरित किया गया है; और

(घ) कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत राज्यवार और विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जिलावार जारी की गई और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक संगठनों की संख्या कितनी है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय द्वारा कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) नामक एक समावेशी स्कीम का कार्यान्वयन की जा रही है, जिसमें 08 स्कीम घटक शामिल हैं, जिसके अंतर्गत

पात्र सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों को देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीमों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ख): जी हाँ, देश भर में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें छोटे संगठन और व्यक्तिगत कलाकार भी शामिल हैं। स्कीमों के अंतर्गत ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित व्यापक पात्रता मानदंड **अनुलग्नक-II** पर दिए गए हैं।

(ग): कला संस्कृति विकास योजना केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसमें 08 स्कीम घटक शामिल हैं, और इस स्कीम के अंतर्गत राज्यवार धनराशि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 08 स्कीम घटकों में अब तक आवंटित निधियों और जारी की गई राशि का विवरण **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है।

(घ): 'कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' के अंतर्गत विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान योजना-वार, राज्य-वार जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-IV**पर दिया गया है। कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम' के अंतर्गत विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य-वार, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में जिला-वार जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुलग्नक-V**पर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

'कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए आवंटित निधि' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3495 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

केएसवीवाई स्कीमों की स्कीमों का सार

1. **गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)**

इस स्कीम का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता और संगीत और नृत्य के क्षेत्र में 01 गुरु और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता की राशि गुरु के लिए 15000/- रु. प्रति माह, शिष्य के लिए 2000-10000/- रुपये प्रति माह है। (कलाकार की आयु के आधार पर)

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम: स्कीम घटक के नाम और ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत सहायता की राशि 1 करोड़ रुपये तक है जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के

अंतर्गत 5 लाख रुपये (विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपये का अधिकतम) अनुदान प्रदान किया जाता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

v अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

यह स्कीम संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुन: सक्रिय करने और पुन: सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षा के लिए आरंभ की गई थी ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुदृढ़ीकरण, संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए कार्यकलाप/परियोजनाएं आयोजित कर सकें।

vi. **स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vii. **संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

viii. **स्थानीय महोत्सव और मेले**

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं।

3. **कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम :** इस स्कीम में तीन घटक हैं। स्कीम घटकों का नाम और ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु के उत्कृष्ट व्यक्तियों (वरिष्ठ) को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये प्रतिमाह और 20,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत; भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए प्रतिमाह 5000/- रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य विद्वानों/शिक्षाविदों को इन संस्थाओं के साथ आपसी हित की परियोजनाओं पर संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में पहचान की गई अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 15 तक अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपये प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और 25 तक छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति 04 बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

4. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत) प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों के लिए सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थानों के सृजन, ग्रीन रुम आदि के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों / निकायों, नगर निगमों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाएं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्धन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी परियोजना के लिए आमतौर पर अधिकतम 15 करोड़ रुपये (विशेष मामलों में 50 करोड़ रुपए) तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

5. वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम का उद्देश्य उन वयोवृद्ध कलाकारों और विद्वानों को (जिनकी आयु 60 वर्ष से कम न हो और वार्षिक आय 48000/- रुपए से अधिक न हो) को 6000/- रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना है, जिन्होंने कला, साहित्य आदि के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है लेकिन अब अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हैं।

अनुलग्नक-II

'कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए आवंटित निधि' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3495 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

स्कीमों के अंतर्गत इस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित व्यापक पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं: -

(i) गुरु-शिष्य परम्परा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान) कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम और **टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु लाभार्थी संगठनों का चयन करने के लिए व्यापक मानदंड -**

(i) संगठन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सोसायटी के रूप में या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए तथा कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत होना चाहिए।
(ii) संगठन को नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर अवश्य पंजीकृत होना चाहिए।
(iii) संगठन की पूर्व प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल होनी चाहिए।
(iv) संगठन द्वारा विगत तीन वर्षों का लेखा-परीक्षा विवरण अवश्य प्रस्तुत किए गए हों।
(v) संगठन द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान आयकर रिटर्न अवश्य फाइल किया गया हो।

सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए आवेदन(नों)/प्रस्ताव (वों) को मंत्रालय द्वारा प्रत्येक स्कीम घटक के लिए विधिवत गठित विशेषज्ञ/संचालन समिति के समक्ष रखा जाता है, ताकि प्रस्ताव के गुणावगुण को देखते हुए मामला-दर-मामला आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मूल्यांकन और सिफारिशें की जा सकें।

(2) कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति स्कीम :-

(i) छात्रवृत्ति के अभ्यर्थियों द्वारा चुने हुए क्षेत्र में पहले से ही दक्षता की डिग्री प्राप्त कर ली गई हो।
(ii) छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थी को अपने गुरु/संस्थान के साथ न्यूनतम 5 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
(iii) छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित कलाओं/विषयों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए
(iv) छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थी की आयु आवेदन करने वाले वर्ष की पहली अप्रैल को 18 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(v) वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति संस्कृति मंत्रालय से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।
(vi) आवेदक ने पहले कभी ऐसी छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति का लाभ नहीं उठाया हो।

(vii) तथापि, जिस आवेदक को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, वह कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है और कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्राप्त आवेदक वरिष्ठ अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि पहले की परियोजना के बंद होने के बाद 5 वर्ष बीत चुके हों।

(viii) संस्कृति से संबंधित नए क्षेत्रों में वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति के आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक है।

(ix) वरिष्ठ अध्येताओं का चयन मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत संक्षिप्त विवरण के आधार पर किया जाता है।

(x) स्कॉलर्स/कनिष्ठ अध्येता का चयन विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के समक्ष व्यक्तिगत संवाद/साक्षात्कार में अभ्यर्थी के प्रस्तुतीकरण के आधार पर किया जाता है।

(3) वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता:

i. आवेदक कलाकार ने अपनी सक्रिय आयु में कला, साहित्य आदि के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो या अभी भी योगदान दे रहा हो;
ii. . आवेदक कलाकार की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए;
iii. आवेदक की वार्षिक आय 72,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए;
iv. आवेदक कलाकार को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कम से कम 500 रुपये प्रति माह की कलाकार पेंशन प्राप्त होनी चाहिए या आवेदक का कला संबंधी परिचय पत्र संबंधित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी), संस्कृति मंत्रालय द्वारा सत्यापित और अनुशंसित होना चाहिए; और
v. आवेदक कलाकार को संस्कृति मंत्रालय की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो।

अनुलग्नक-III

'कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए आवंटित निधि' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3495 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित धनराशि और जारी की गई राशि का विवरण :-

क्रम सं.	स्कीम का नाम	आवंटित निधि (लाख रुपए में)	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)
1	गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)	7285.00	5079.00
2	कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम	7177.00	3497.55
3	कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम	1646.00	435.60
4	वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता	2603.00	1895.00
5	सेवा भोज योजना	150.00	-
6	टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	693.00	-
7	राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल मिशन	139.00	21.21
8	राष्ट्रीय पुरस्कार योजना	160.00	-
	कुल (केएसवीवाई)	19853.00	10928.36

अनुलग्नक-IV

'कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए आवंटित निधि' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3495 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-2023		**2023-2024***		**2024-2025***	
		संगठनों की संख्या	राशि (रु.)	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण हेतु प्राधिकृत राशि (रु.)	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण हेतु प्राधिकृत राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	6	16.42	16	40.38	12	35.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	
3.	असम	37	214.54	54	277.54	23	263.25
4.	बिहार	64	363.82	158	697.37	50	347.56
5.	चंडीगढ़	5	49.2	10	69.96	7	91.65
6.	छत्तीसगढ़	-	-	9	33.52	2	13.12
7.	दिल्ली	98	793.36	161	1065.18	87	823.77
8.	गुजरात	4	27.84	13	71.42	11	48.28
9.	हरियाणा	24	93.06	23	124.2	15	138.16
10.	हिमाचल प्रदेश	4	51.12	5	55.28	6	90.95
11.	जम्मू और कश्मीर	15	120.84	37	118.2	27	215.66
12.	झारखंड	13	69.18	18	100.64	13	47.65
13.	कर्नाटक	113	807.4	201	1009.94	96	738.67
14.	केरल	37	264.44	38	318.06	19	169.71
15.	मध्य प्रदेश	73	525.48	106	687.19	69	654.78
16.	महाराष्ट्र	41	307.66	97	625.7	59	333.05
17.	मणिपुर	147	900.72	173	973.68	119	816.68
18.	मिजोरम	4	26.64	2	10.9	2	10.88
19.	नागालैंड	2	8.88	1	6.96	4	12.93
20.	ओडिशा	55	289.2	115	515.29	67	343.87
21.	पुदुचेरी	5	50.04	3	32.52	5	65.76
22.	पंजाब	6	43.56	10	66.68	8	56.06
23.	राजस्थान	17	95.2	32	123.52	16	140.66
24.	सिक्किम	1	2.64	3	7.02		
25.	तमिलनाडु	19	108.6	22	143.02	14	90.15
26.	तेलंगाना	17	153.02	19	109.52	17	131.72

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-2023		**2023-2024***		**2024-2025***	
		संगठनों की संख्या	राशि (रु.)	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण हेतु प्राधिकृत राशि (रु.)	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण हेतु प्राधिकृत राशि (रु.)
27.	त्रिपुरा	1	6.24	14	57.12	3	14.46
28.	उत्तराखंड	16	80.86	17	65.96	12	76.03
29.	उत्तर प्रदेश	57	293.97	107	438.32	70	502.02
30.	पश्चिम बंगाल	333	2060.8	418	2288.48	208	1432.21
	कुल	**1214**	**7824.73**	**1882**	**10133.5**	**1041**	**7704.76**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

आरके मिशन सहित राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-2023		**2023-24***		**2024-25***	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	1	22.5	1	7.50	-	-
2.	असम	-	-	1	22.50	2	22.50
3.	चंडीगढ़	-	-	1	15.00	1	22.50
4.	दिल्ली	7	241.25	11	276.25	9	118.75
5.	हरियाणा	-	-	-	-	**1**	**26.25**
6.	झारखंड	-	-	-	-	**1**	**15.00**
7.	कर्नाटक	1	22.5	-	-	1	4.73
8.	केरल	-	-	1	18.75	**2**	32.50
9.	महाराष्ट्र	-	-	1	15.00	**1**	**18.75**
10.	मणिपुर	-	-	-	-	**1**	**11.25**
11.	मध्य प्रदेश	1	0.59	-	-	**-**	**-**
12.	ओडिशा	-	-	1	8.75	**1**	**22.50**
13.	पुदुचेरी	**1**	**3.75**	**-**	**-**	**-**	**-**
14.	राजस्थान	1	37.5	1	26.25	**2**	27.50
15.	तमिलनाडु	-	-	-	-	**1**	15.00
16.	उत्तर प्रदेश	**2**	**93.75**	**1**	**22.50**	**1**	**7.50**
17.	पश्चिम बंगाल (एनपी)	-	-	2	37.50	3	31.25
18.	आर के मिशन	**1**	**738.56**	**1**	**766.50**	**1**	**807.00**
कुल		**15**	**1160.4**	**22**	**1216.50**	**28**	**1182.98**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-2023		2023-24*		2024-2025*	
		संगठनों की संख्या	राशि (रु.)	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण हेतु प्राधिकृत राशि (रु.)	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण हेतु प्राधिकृत राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	65	62.85	83	80.7	49	75.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	48	96.21	68	114.11	27	36.59
4.	बिहार	123	203.2	126	161	73	122.21
5.	चंडीगढ़	1	0.5	3	21.69	1	10
6.	छत्तीसगढ़	3	5.5	4	7.5	3	6.42
7.	दिल्ली	167	408.06	204	370.03	106	262.97
8.	गोवा	1	0.625	1	1.5	2	2.12
9.	गुजरात	17	23.4	16	12.34	3	3.59
10.	हरियाणा	28	62.59	36	74.72	29	89.98
11.	हिमाचल प्रदेश	8	11	15	25.75	11	12.92
12.	जम्मू और कश्मीर	52	50.33	49	33.76	30	36.37
13.	झारखंड	11	14.26	7	8	10	12.75
14.	कर्नाटक	218	349.42	221	208.22	235	494.09
15.	केरल	30	48.38	30	40.27	21	65.13
16.	मध्य प्रदेश	141	264.9	161	155.17	100	202.89
17.	महाराष्ट्र	56	104.12	34	29.64	44	97.31
18.	मणिपुर	162	196.17	237	249.25	140	164.8
19.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	5	4.62	4	1.35	2	1
21.	ओडिशा	180	296.88	168	269.71	179	482.88
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
23.	पंजाब	12	23.27	11	22.65	9	22
24.	राजस्थान	48	81.16	57	46.28	40	61.55
25.	सिक्किम	0	0	1	3.75	3	7
26.	तमिलनाडु	15	18.87	11	10.73	16	35.35
27.	तेलंगाना	16	16.87	16	9.61	25	51.13

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-2023		2023-24*		2024-2025*	
		संगठनों की संख्या	राशि (रु.)	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण हेतु प्राधिकृत राशि (रु.)	प्राधिकृत संगठनों की संख्या	आहरण हेतु प्राधिकृत राशि (रु.)
28.	त्रिपुरा	16	16.15	23	24.94	10	7.87
29.	उत्तराखंड	24	28.11	31	21.91	22	30
30.	उत्तर प्रदेश	278	343.33	268	244.07	218	395.66
31.	पश्चिम बंगाल	410	544.44	357	206.86	302	435.61
कुल		**2135**	**3275.21**	**2242**	**2455.51**	**1710**	**3225.98**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24*		2024-25*	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	41	117.95	32	77.00	7	20.01
2	सिक्किम	4	10.00	3	11.00	0	0
3	हिमाचल प्रदेश	42	98.52	40	97.50	2	5.99
4	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	69	117.02	24	37.52	0	0
5	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	11	34.00	2	5.50	0	0
6	उत्तराखंड	58	91.24	48	64.0	2	3.50
7	दिल्ली	0	0	0	0	1	1.75
8	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
	कुल	**225**	**468.73**	**149**	**292.52**	**12**	**31.25**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-23		2023-24		2024-25	
		संगठनों की संख्या	राशि (रु.)	संगठनों की संख्या	राशि (रु.)	संगठनों की संख्या	राशि (रु.)
1	अरुणाचल प्रदेश	57	518.19	50	392.31	60	416.33
2	आंध्र प्रदेश	2	8	10	9.18	4	9.00
3	असम	9	30	15	72.00	6	24.36
4	बिहार	2	8.5	2	8.50	2	10.48
5	चंडीगढ़ (यूटी)	7	49.5	4	40.00	15	120.16
6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	6	44.47	2	9.45	7	44.27
7	हिमाचल प्रदेश	78	550.97	31	167.63	49	317.38
8	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	6	23.5	4	20.00	5	33.50
9	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	45	319.62	44	246.42	6	26.94
10	कर्नाटक	33	272.8	11	62.78	49	333.82
11	केरल	1	13.5	0	0		
12	मिजोरम	0	0	0	0		
13	मध्य प्रदेश	5	29	4	30.00	1	5.00
14	महाराष्ट्र	11	38.25	14	41.00	14	57.45
15	मणिपुर	2	5.5	3	9.50	1	3.00
16	ओडिशा	1	5	2	12.00	2	11.00
17	पंजाब	2	8.5	2	10.00		
18	सिक्किम	0	0	12	89.93	5	39.99
19	त्रिपुरा	7	37.5	7	41.5	17	97.20
20	तमिलनाडु	0	0	2	10.00		
21	तेलंगाना	2	22.5	3	30.00		
22	उत्तराखंड	26	252.42	5	35.50	38	254.97
23	उत्तर प्रदेश	27	195.28	11	44.15	34	236.27
24	पश्चिम बंगाल	72	168.00	92	175.51	70	82.75
कुल		**401**	**2601.00**	**330**	**1557.36**	**385**	**2223.8**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान स्कीम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24*		2024-25*	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि
1.	असम	1	5.4	0	0	0	0
2.	बिहार	1	0.6	1	6	0	0
3.	छत्तीसगढ़	1	7.5	0	0	0	0
4.	दिल्ली	0	0	2	11.2	3	23.25
5.	हिमाचल प्रदेश	1	12.79	1	6	2	20
6.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	2	10
7.	कर्नाटक	3	26.4	1	25	0	0
8.	केरल	1	1.4	0	0	0	0
9.	मध्य प्रदेश	1	3	0	0	4	16.86
10.	महाराष्ट्र	0	0	2	8	2	25
11.	मणिपुर	4	15.98	6	35.23	2	3.88
12.	मेघालय	0	0	0	0	1	4.5
13.	ओडिशा	0	0	0	0	2	21.5
14.	पंजाब	0	0	1	2	1	0.9
15.	राजस्थान	1	7.5	0	0	0	0
16.	तेलंगाना	1	4.29	0	0	0	0
17.	पश्चिम बंगाल	5	34.61	1	15	4	24.2
कुल		**20**	**119.47**	**15**	**108.43**	**23**	**150.09**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलाप हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2024-25	
		संगठनों/राज्य सरकारों की संख्या	राशि
1	उत्तर प्रदेश	2	120

टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-2023		**2023-2024**		**2024-2025**	
		संगठनों की संख्या /राज्य सरकार	राशि (रु.)	संगठनों की संख्या /राज्य सरकार	राशि (रु.)	संगठनों की संख्या /राज्य सरकार	राशि (रु.)
1.	दिल्ली	0	0	0	0	1	300
2.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
3.	मध्य प्रदेश	0	0	2	1131.52	0	0
4.	मेघालय	1	500	0	0	0	0
5.	राजस्थान	0	0	1	54.91	0	0
6.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
7.	उत्तर प्रदेश	0	0	1	369.57	0	0
कुल		**1**	**500.00**	**4**	**1556**	**1**	**300**

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए परिशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी। वर्ष 2023-24 के दौरान, संबंधित सीएनए को 369.57 लाख रुपये की राशि जारी की गई। 369.57 लाख रुपये की कुल जारी राशि में से 337.11 लाख रुपये की धनराशि 01 संगठन को अधिकृत की गई है।

संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति (एसवाईए)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-2023		2023-2024		2024-2025	
		अध्येताओं की संख्या	राशि (रु.)	अध्येताओं की संख्या	राशि (रु.)	अध्येताओं की संख्या	राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	12	17.40	12	11.40	08	14.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	02	1.20	02	1.20
3.	असम	50	58.80	70	69.60	70	84.00
4.	बिहार	31	48.00	47	44.40	35	43.80
5.	चंडीगढ़	03	3.60	-	-	01	2.40
6.	छत्तीसगढ़	08	11.40	12	12.00	12	12.60
7.	दिल्ली	116	178.20	101	100.80	77	100.20
8.	गोवा	01	2.40	-	-	-	-
9.	गुजरात	18	27.00	23	21.60	14	19.20
10.	हरियाणा	27	40.20	27	30.00	23	33.00
11.	हिमाचल प्रदेश	07	7.20	04	3.00	04	5.40
12.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	14	19.80	13	10.20	13	11.40
13.	झारखंड	15	17.40	24	30.60	15	24.00
14.	कर्नाटक	43	61.20	57	64.80	33	48.60
15.	केरल	62	85.20	60	54.00	54	73.80
16.	मध्य प्रदेश	62	93.00	82	76.20	59	70.20
17.	महाराष्ट्र	84	118.80	85	84.00	52	78.60
18.	मणिपुर	33	37.20	62	60.00	64	70.20
19.	मेघालय	2	1.20	-	-	01	1.20
20.	नागालैंड	02	1.80	03	3.00	03	3.60
21.	ओडिशा	89	129.60	90	93.60	83	105.60
22.	पुदुचेरी	04	7.20	02	1.80	02	3.00
23.	पंजाब	06	7.20	11	10.20	06	9.00
24.	राजस्थान	27	39.60	34	33.00	28	33.00
25.	तमिलनाडु	19	24.60	15	15.00	15	23.40
26.	तेलंगाना	22	27.00	28	28.80	21	24.60
27.	त्रिपुरा	03	3.60	06	7.80	05	6.60
28.	उत्तराखंड	13	21.00	13	12.60	10	13.20
29.	उत्तर प्रदेश	120	154.80	158	146.40	116	157.20
30.	पश्चिम बंगाल	87	118.20	100	93.00	102	116.40
कुल		**980**	**1362.6**	**1141**	**1119.00**	**928**	**1189.8**

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-2023		2023-24		2024-25	
		विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)	विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)	विद्वानों की संख्या	राशि (रु.)
1.	अंडमान और निकोबार	-	-	03	0.90	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	03	0.90	09	2.70	06	1.80
3.	अरुणाचल प्रदेश	01	0.30	05	1.50	03	0.90
4.	असम	28	8.40	89	26.70	58	17.40
5.	बिहार	16	4.80	63	18.90	43	12.90
6.	चंडीगढ़	03	0.90	09	2.70	07	2.10
7.	छत्तीसगढ़	10	3.00	50	15.00	38	11.70
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	21	6.30	73	21.90	53	16.20
9.	गोवा	02	0.60	06	1.80	04	1.20
10.	गुजरात	05	1.50	23	6.90	19	5.70
11.	हरियाणा	05	1.50	25	7.50	18	5.40
12.	हिमाचल प्रदेश	-	-	04	1.20	03	0.90
13.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	01	0.30	09	2.70	08	2.40
14.	झारखंड	08	2.40	24	7.20	17	5.10
15.	कर्नाटक	30	9.00	97	29.10	63	18.90
16.	केरल	20	6.00	71	21.30	48	14.40
17.	मध्य प्रदेश	27	8.10	131	39.30	104	31.80
18.	महाराष्ट्र	40	12.00	127	38.10	81	24.30
19.	मणिपुर	08	2.40	39	11.70	29	8.70
20.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-
21.	ओडिशा	25	7.50	97	29.10	71	21.60
22.	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
23.	पंजाब	04	1.20	11	3.30	05	1.50
24.	राजस्थान	10	3.00	37	11.10	25	7.50
25.	सिक्किम	01	0.30	03	0.90	02	0.60
26.	तमिलनाडु	18	5.40	51	15.30	32	9.90
27.	तेलंगाना	03	0.90	13	3.90	08	2.40
28.	त्रिपुरा	02	0.60	10	3.00	06	1.80
29.	उत्तराखंड	03	0.90	16	4.80	10	3.00
30.	उत्तर प्रदेश	35	10.50	134	40.20	97	29.70
31.	पश्चिम बंगाल	67	20.10	278	83.70	219	65.70
कुल		**396**	**118.80**	**1507**	**452.40**	**1077**	**325.5**

सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (टीएनएफसीआर)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-2023		**2023-2024**		**2024-25**	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)
1.	**आंध्र प्रदेश**	-	-	02	13.50	01	3.00
2.	**चंडीगढ़**	-	-	-	-	01	3.00
3.	**दिल्ली**	-	-	-	-	03	12.60
4.	**महाराष्ट्र**	-	-	01	3.60	10	67.11
5.	**तमिलनाडु**	-	-	-	-	01	3.00
6.	**तेलंगाना**	-	-	03	18.00	03	16.80
कुल		**-**	**-**	**06**	**35.10**	**19**	**105.51**

सेवा भोज योजना

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि
1.	पंजाब	03	143.00	02	146.00	03	145.55

वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष					
		2022-2023		**2023-2024***		**2024-2025***	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	148	84.66	191	153.30	177	115.9
2.	असम	1	1.57	3	2.41	2	0.9
3.	बिहार	-	-	14	15.47	7	4.62
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	8	5.87	10	4.92
5.	हरियाणा	2	0.56	4	3.69	4	1.94
6.	गोवा	-	-	-	-	41	7.12
7.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	1	0.3
8.	झारखंड	7	3.59	4	3.88	3	2.76
9.	कर्नाटक	130	64.32	344	341.98	397	354.67
10.	केरल	51	25.3	67	64.21	80	85.82
11.	मध्य प्रदेश	6	3.86	7	6.95	13	14.95
12.	महाराष्ट्र	740	273.49	1239	795.97	1392	541.19
13.	मणिपुर	5	0.6	13	14.7	14	14.94
14.	नागालैंड	1	0.12	2	3.28	2	1.08
15.	ओडिशा	966	306.77	1460	1063.4	1995	1106.51
16.	पंजाब	-	-	-	-	1	0.30
17.	राजस्थान	2	0.71	2	1.36	2	2.52
18.	तमिलनाडु	21	14.6	41	46.96	34	36.61
19.	तेलंगाना	489	268.16	293	274.94	309	207.07
20.	त्रिपुरा	1	0.12	-	-	0	0
21.	उत्तर प्रदेश	58	15.46	82	67.24	109	80.46
22.	उत्तराखंड	-	-	2	2.43	4	4.83
23.	पश्चिम बंगाल	27	11.71	35	28.53	39	20.37
	कुल	**2655**	**1075.6**	**3811**	**2896.57**	**4636**	**2609.77**
	एलआईसी	996	783.58				
	कुल योग	**3651**	**1859.18**	**3811**	**2896.57**		

* वर्ष 2023-24 से, एलआईसी के माध्यम से वित्तीय सहायता का संवितरण बंद कर दिया गया है और इसे सीधे संस्कृति मंत्रालय द्वारा केनरा बैंक (इस स्कीम हेतु संवितरण एजेंसी) के माध्यम से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक-V

'कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए आवंटित निधि' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3495 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में जारी की गई धनराशि का योजनावार, जिलावार विवरण

आरके मिशन सहित राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	राज्य	ज़िला	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रु. में)
1.	2022-23	मध्य प्रदेश	भोपाल	1	0.59
2.	2023-24	महाराष्ट्र	नांदेड़	1	15.00
3.	2023-24	महाराष्ट्र	नांदेड़	1	18.75

सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में जारी की गई जिलावार धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	ज़िला	2022-23		2023-24		2024-25	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि
1	अमरावती	1	2	0	0	0	0
2	अहमदाबाद	7	12	0	0	0	0
3	औरंगाबाद	0	0	0	0	1	3
4	बीड	1	0.75	1	0.25	0	0
5	बुलढाणा	1	2.25	0	0	0	0
6	चंद्रपुर	1	1.5	0	0	0	0
7	जालना	1	1.12	0	0	0	0
8	जलगांव	1	6	0	0	0	0
9	मुंबई	10	24.35	10	7.12	2	3.75
10	नागपुर	19	27.27	3	3.37	1	5
11	नांदेड़	6	12.5	11	10.63	3	9.96
12	पुणे	2	4.5	0	0	0	0
13	सोलापुर	3	4.25	3	2.53	2	4
14	थाइन	3	5.63	4	5	6	15.26
15	उल्लाशनगर	0	0	1	0.37	0	0
16	वर्धा	0	0	1	0.37	0	0
17	यवतमाल	0	0	0	0	1	1.16
कुल		**56**	**104.12**	**34**	**29.64**	**16**	**42.13**

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में जारी की गई जिलावार धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	ज़िला	2022-23		2023-24		2024-25	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि
1	बालाघाट	3	5	5	3.75	1	1.25
2	बेतुल	1	1.87	10	15	0	0
3	भोपाल	85	167.45	94	63.04	39	82.44
4	छिंदवाड़ा	1	3	0	0	0	0
5	दामोल	2	3.2	0	0	0	0
6	ढिंडोरी	1	3.38	3	4.56	1	3.95
7	ग्वालियर	2	2.75	3	3	0	0
8	होशंगाबाद	1	2.62	2	2.25	0	0
9	इंदौर	2	2.8	2	3	2	7
10	जबलपुर	4	7.3	6	7.32	1	0.77
11	कटनी	1	1.59	2	4	1	4
12	नासिरपुर	1	0.57	0	0	0	0
13	रायसेन	1	3.75	2	4.77	2	9.77
14	रीवा	6	10	5	2.69	3	4.37
15	सागर	10	13.15	10	18.75	3	5.87
16	सीहोर	3	4.25	2	5	0	0
17	सीधी	2	5.25	3	5.7	1	3
18	टीकमगढ़	1	1.5	0	0	1	3
19	उज्जैन	13	24	8	9.34	5	16.25
20	विदिशा	1	0.66	2	0.75	2	5
21	हरदा	0	0	1	1.5	1	1.5
22	सतना	0	0	1	0.75	1	0.25
कुल		**141**	**264.09**	**161**	**155.17**	**64**	**148.42**

बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	मध्य प्रदेश			महाराष्ट्र		
	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि	ज़िला	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि	ज़िला
2022-23	2	8.50	सागर	2	7.50	पुणे
	1	8.50	जबलपुर	1	2.50	औरंगाबाद
	1	5.00	भोपाल	2	5.00	बीड
	-	-	-	1	5.00	गडचिरोली
	-	-	-	1	2.50	अकोला
	-	-	-	1	3.50	यवतमाल
2023-24	-	-	-	1	2.35	बीड
2024-25	01	5.00	भोपाल	2	5.89	पुणे
	-	-	-	1	2.5	औरंगाबाद
	-	-	-	1	4.85	बीड

स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता स्कीम

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	राज्य	ज़िला	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रु. में)
1.	2022-23	मध्य प्रदेश	सागर	1	3.00
2.	2024-25		डिंडोरी	1	9.00
			भोपाल	3	7.86
3.	2023-24	महाराष्ट्र	नांदेड़	2	8.00
4.	2024-25	महाराष्ट्र	मुंबई	2	25

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

विगत तीन वर्षों के दौरान **महाराष्ट्र राज्य में** 'विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम ' की स्कीम घटक के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को जिलावार धनराशि जारी की गई।

(लाख रु. में)

क्र. सं.	ज़िला	2022-23		2023-24		2024-25	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि
1.	अहमदनगर	01	0.30	04	1.20	04	1.20
2.	अकोला	01	0.30	02	0.60	01	0.30
3.	औरंगाबाद	03	0.90	11	3.30	06	1.80
4.	बीड	-	-	01	0.30	01	0.30
5.	बुलढाना	-	-	-	-	-	-
6.	चंद्रपुर	-	-	02	0.60	01	0.30
7.	कोल्हापुर	-	-	04	1.20	04	1.20
8.	मुंबई	03	0.90	12	3.60	10	3.00
9.	नागपुर	06	1.80	21	6.30	14	4.20
10.	नांदेड़	-	-	-	-	-	-
11.	नासिक	5	1.50	13	3.90	09	2.70
12.	पालघर	-	-	01	0.30	01	0.30
13.	पुणे	11	3.30	35	10.50	21	6.30
14.	रायगढ़	-	-	01	0.30	-	-
15.	रत्नागिरि	01	0.30	02	0.60	01	0.30
16.	सांगली	-	-	01	0.30	-	-
17.	सतारा	01	0.30	02	0.60	01	0.30
18.	सिंधुदुर्ग	-	-	-	-	-	-
19.	सोलापुर	-	-	02	0.60	01	0.30
20.	थाइन	03	0.90	09	2.70	05	1.50
21.	वर्धा	-	-	-	-	-	-
22.	यवतमाल	1	0.30	04	1.20	01	0.30

सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

विगत तीन वर्षों के दौरान **महाराष्ट्र राज्य** में 'सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति' स्कीम घटक के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को जिलावार जारी की गई धनराशि।

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	ज़िला	2022-23		2023-24		2024-25	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि
1.	मुंबई	-	-	-	-	05	37.80
2.	पुणे	-	-	01	3.60	05	29.31

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

विगत तीन वर्षों के दौरान **मध्य प्रदेश राज्य में** विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम की स्कीम घटक के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को जिलेवार जारी की गई धनराशि।

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	ज़िला	2022-23		2023-24		2024-25	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि
1.	बालाघाट	-	-	01	0.30	01	0.30
2.	भोपाल	06	1.80	24	7.20	22	6.90
3.	दमोह	-	-	03	0.90	02	0.60
4.	धार	-	-	01	0.30	01	0.30
5.	ग्वालियर	01	0.30	09	2.70	06	1.80
6.	इंदौर	01	0.30	08	2.40	08	2.40
7.	जबलपुर	03	0.90	07	2.10	06	1.80
8.	कटनी	01	0.30	03	0.90	02	0.60
9.	नर्मदापुरम	-	-	01	0.30		
10.	नरसिंहपुर	01	0.30	04	1.20	02	0.60
11.	सागर	09	2.70	35	10.50	27	8.10
12.	सतना	-	-	04	1.20	04	1.20
13.	सीहोर	01	0.30	03	0.90	02	0.60
14.	साहडोल	-	-	01	0.30		
15.	शाजापुर	-	-	02	0.60	01	0.30
16.	सीधी	01	0.30	06	1.80	05	1.50
17.	टिकमगढ़	-	-	01	0.30	01	0.30
18.	उज्जैन	03	0.90	14	4.20	10	3.00
19.	उमरिया	-	-	01	0.30	01	0.30
20.	विदिशा	-	-	03	0.90	03	0.90

संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करना

विगत तीन वर्षों के दौरान संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम के घटक के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को जिलावार धनराशि जारी की गई।

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	मध्य प्रदेश			महाराष्ट्र		
	ज़िला	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधि	ज़िला	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधि
2022-23	बेतुल	2	3.60	औरंगाबाद	1	1.20
	भोपाल	30	49.20	भंडरा	1	2.40
	पूर्वी निमाड़	1	2.40	बुलढाना	1	2.40
	ग्वालियर	1	0.60	चंद्रपुर	2	2.40
	हरदा	1	1.20	कोल्हापुर	1	2.40
	इंदौर	2	3.0	मुंबई	24	37.20
	जबलपुर	5	8.40	नागपुर	14	18.60
	रतलाम	1	1.20	नासिक	1	0.60
	रीवा	1	1.20	नवी मुंबई	1	1.20
	सागर	10	12.0	पुणे	21	28.20
	सीधी	2	1.20	रायगढ़	2	2.40
	उज्जैन	5	8.40	सांगली	2	1.20
	विदिशा	1	0.60	सतारा	1	1.20
				थाइन	12	17.40
2023-24	अनूपपुर	1	0.60	अहमदनगर	1	0.60
	भिंड	1	0.60	अकोला	1	1.20
	भोपाल	26	26.40	औरंगाबाद	4	3.60
	दमोह	1	0.60	बीड	1	1.20
	देवास	2	2.40	कोल्हापुर	2	1.20
	ग्वालियर	3	1.80	मुंबई	27	27.60
	होशंगाबाद	2	3.60	नागपुर	13	12.60
	इंदौर	5	4.80	नांदेड़	1	0.60
	जबलपुर	4	3.60	नासिक	4	3.60
	कटनी	2	1.80	पुणे	17	16.20
	नरसिंहपुर	1	0.60	रायगढ़	1	1.20
	रीवा	1	1.20	सिंधुदुर्ग	1	0.60
	सागर	23	19.80	थाइन	11	13.20
	सतना	2	1.80	वर्धा	1	0.60
	सीधी	2	1.20			
	उज्जैन	4	3.60			
	विदिशा	1	0.60			
	पश्चिम निमाड़	1	1.20			

*****